

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 36/2014/एलआर

1. रतनलाल पिता मांगू रेगर
2. परसराम पिता मांगू रेगर
3. सुशीला पुत्री मांगू रेगर
4. कंकू पुत्री मांगू रेगर
5. रेखा पुत्री मांगू रेगर
6. मांगीबाई विधवा मांगू रेगर

सभी निवासी गिलुण्ड तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. राज्य जरिये तहसीलदार, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
2. ग्राम पंचायत ताणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत ताणा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956  
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़  
दिनांक 10.05.2004 क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12-6(7)04/772

- उपस्थित —
1. श्री छोगालाल जाट — अभिभाषक अपीलान्टस
  2. श्रीमती वन्दना चौखडा — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक — 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार कपासन की अनुशंसा पर मौजा गिलुण्ड की आराजी नम्बर 70, 134, 18 मीन, 142, 191, 2220/839, 855, 907, 1705, 1042, 1180, 1683, 1974, 781, 979, 1328, 1459, 1537, 1747, 1748, 1770, 1884, 1846, 1847, 1997, 1948, 2107/406 की आराजीयात को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया व उक्त आदेश के साथ ही आराजी नम्बर 142 रकबा 2.25 है० सम्पूर्ण रकबे को भी आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि नवीन आराजी नम्बर 143 रकबा 2.25 है० जिसके साबिक पैमाईश आराजी नम्बर 145 मी रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवस्थित थी,

उक्त आराजीयात मे से अपीलान्टगण के पिता स्वर्गीय मांगू पिता नोला रेगर को दिनांक 27/11/1982 को मिसल नम्बर 48/1982 से 3 बीघा भूमि आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द किया गया तभी से अपीलान्टगण के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात् अपीलान्टगण आवंटी मांगू पिता नोला रेगर के वारिसान होकर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व उक्त आराजीयात अपीलान्टगण के पिता मांगू के नाम पर दर्ज नही होने से अपीलान्टगण की ओर से नवीन आराजी नम्बर 142 रकबा 0.65 है० के सम्बन्ध मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के न्यायालय मे इस्तकरार हक व इन्द्राज दुरस्ती का वादपत्र सन् 2007 मे प्रस्तुत किया गया जो मुकदमा नम्बर 374/2007 दर्ज रजिस्टर होकर विचारधीन है व अपीलान्टगण अपने पिता के नाम पर आवंटनशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। जिससे वक्त आवंटन पशु चराई के लिए उक्त भूमि उपर्युक्त भूमि नही थी व उक्त आराजीयात पर अपीलान्टगण काशते करते चले आ रहे थे फिर भी पटवार हल्का एवं तहसीलदार की गलत रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजीयात को भी अन्य आराजीयात के साथ चारागाह हेतु आरक्षित किया जाकर जरिये नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 14/05/2004 स्वीकृत कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

2. मौजा गिलुण्ड तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ की साबिक आराजी नम्बर 145 मे से अपीलान्टगण 3 बीघा भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे जिसके नवीन भू-प्रबन्ध मे नवीन आराजी नम्बर 142 रकबा 2.25 है० भूमि कायम की गयी जिसमे अपीलान्टगण के पिता को आवंटनशुदा रकबा 0.65 है० रकबा भी चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया। वक्त आवंटन विवादित आराजीयात अपीलान्टगण के कब्जे काशत मे चली आ रही थी, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को विवादित आराजीयात से बेदखल किये बगैर ही गलत रूप से चारागाह हेतु आरक्षित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पादित विवादित आदेश अपीलान्टगण के हित प्रभावित होते है जिससे अपीलान्टगण प्रभावित पक्षकार होने से अपील अपीलान्टगण पेश है। फिर भी अपीलान्टगण अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु धारा 96 जा०दी० का प्रार्थना भी पेश है। विवादित आराजीयात अपीलान्टगण के कब्जे काशत मे चली आ रही थी फिर भी

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्तगण को सूचना दिये बगैर गलत रूप से आरक्षित कर दी गयी जिसकी अपीलान्तगण को किसी प्रकार से जानकारी नहीं थी। अपील अपीलान्त बिना किसी विलम्ब के बाद जानकारी अन्दर मियाद पेश है। फिर भी विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्तस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा गिलुण्ड की आराजी नम्बर 145 रकबा 2.25 है० मे से 0.65 है० भूमि पुनः बिलानाम सरकार दर्ज कराये जाने का निर्णय व आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्त ने बयान किया कि प्रश्नगत 0.65 है० भूमि मिसल संख्या 48/1982 के माध्यम से अपीलान्तस के पिता स्वर्गीय मांगू पिता नोला रेगर को दिनांक 27/11/1982 को आवंटित की गई थी। विवादित आराजी पूर्व मे सिवायचक थी जो उनके हक मे आवंटन हुई हैं। सेटलमेन्ट के बाद उक्त साबिक आराजी 145 के हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 2.15 है० कायम हुए है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी चरनोट हेतु आरक्षित कर दी गई जो गलत है। अपीलार्थी ने एक अन्य प्रकरण संख्या 374/2007 अनुवानी रतनलाल बनाम सरकार एवं अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन मे दायर की थी जिसका निर्णय 30/04/2012 को हुआ है। उक्त प्रकरण की भी अपील संख्या 5/2015/डिक्री श्रीमान के न्यायालय मे लम्बित है। उक्त पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2061-64 पेश की गई है। जिसमे नामान्तकरण संख्या 50 के माध्यम से खसरा नम्बर 142 चारागाह हेतु आरक्षित कर दी गई है। प्रार्थी के पिता को हुए आवंटन दिनांक 27/11/1982 की निगरानी जिला कलेक्टर के यहां लम्बित होने के कारण राजस्व रिकार्ड मे उक्त आवंटन के फलस्वरूप अमलदरामद नहीं हो सका। तत्पश्चात् जिला कलेक्टर कार्यालय मे निगरानी लम्बित होने के कारण भूमि बिलानाम दर्ज रही। इसी दौरान चित्तौड़गढ़ जिले मे **mass level** पर करीब-करीब सभी बिलानाम भूमियो को चारागाह हेतु आरक्षित कर दिया गया। कालान्तरण मे जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध की गई निगरानी खारीज कर दी गई। निगरानी दिनांक 27/02/1985 को खारीज करते हुए आवंटन बहाल रखा गया। यह भी निर्विवादित है कि आज भी उक्त भूमि पर अपीलान्त काबिज है। ऐसी सूरत मे मूल आवंटन के विरुद्ध निगरानी खारीज हो जाने के फलस्वरूप प्रश्नगत भूमि काबिल काश्त एवं कब्जा होने के कारण चारागाह श्रेणी से मुक्त करते हुए पुनः

बिलानाम भूमि की श्रेणी में तब्दील किया जाना उचित है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण खारीज होने एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार होने योग्य है।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत की अभिशंषा पर बिलानाम भूमि को चारागाह में तब्दील किया गया है। जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण अपील अपीलार्थी खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई, जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड अवलोकन किया गया जिससे यह जाहिर है कि सारा विवाद अपीलार्थी के पिता को मिसल संख्या 48/1982 के माध्यम से दिनांक 27/11/1982 को साबिक आराजी नम्बर 145 में से 3 बीघा भूमि आंवटन के विरुद्ध जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ को की गई निगरानी की वजह से उत्पन्न हुआ। उक्त निगरानी हो जाने के फलस्वरूप किये गये आंवटन का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद नहीं हो सका। जिसके कारण भूमि बिलानाम काबिल काश्त की श्रेणी में ही दर्ज रही। कालान्तर में उक्त अभियोजन खारीज कर दी गई तथा मूल आंवटन बहाल रहा जिसके कारण अपीलान्त के पिता राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के हकदार तत्समय ही हो गये थे। इसी दौरान जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ द्वारा पूरे जिले में **mass level** पर अभियान चलाकर करीब-करीब सभी बिलानाम भूमियों को चारागाह हेतु आरक्षित कर दिया गया जिसके कारण भूमि चरनोट श्रेणी में हो जाने के कारण नामान्तकरण अपीलार्थी के पिता के नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज नहीं किया जा सका जो कि न्यायोचित नहीं है। यदि आंवटन की रिवीजन नहीं होती तो तत्समय ही आंवटी के नाम भूमि दर्ज हो जाती। ऐसी स्थिति में चलाये गये अभियान के दौरान उक्त भूमि चरनोट श्रेणी में सेटअपार्ट ही नहीं होती। उक्त पूरी प्रक्रिया में अपीलार्थी के पिता रिवीजन खारीज हो जाने के बाद न्याय पाने के पूर्ण हकदार हो जाते हैं तथा उल्लेखित भूमि आराजी नम्बर 145 भू-प्रबन्ध के पश्चात् नवीन आराजी नम्बर 142 रकबा 2.25 है० में से आंवटनशुदा रकबा 0.65 है० को चरनोट से मुक्त करवाने के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के पिता को आंवटित 0.65

है० भूमि जहां आज भी अपीलार्थीगण काबिल है को चरनोट से मुक्त करते हुए बिलानाम काबिल काश्त भूमि की श्रेणी में पुनः परिवर्तित किया जाना न्यायोचित है। फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक/राजस्व/साप्रआ/12-6(7)04/772 में पारित आदेश दिनांक 10/05/2004 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए राजस्व ग्राम गिलुण्ड तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 145, भू-प्रबन्ध पश्चात् नया नम्बर 142 रकबा 2.25 है० में से अपीलार्थी के पिता श्री मांगू पिता नोला रेगर को मिसल संख्या 48/1982 के माध्यम से दिनांक 27/11/1982 को आवंटित हो जाने के फलस्वरूप, आवंटनशुदा रकबा 0.65 है० (3बीघा) को चरनोट से मुक्त करते हुए बिलानाम (रकबा राज) काबिल काश्त के रूप/श्रेणी में पुनः परिवर्तित किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरे में से 0.65 है० भूमि की श्रेणी चरनोट से परिवर्तित करते हुए बिलानाम काबिल काश्त दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)  
आई.ए.एस.  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़